आई. एस. तिवाना और एम. आर. ☒ ग्निहोत्री, जे.जे. के समक्ष।

जगत नारायण जी यू पीटीए,-☒ पीलकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और ☒ न्य,-

उत्तरदाताओं.

पत्र पेटेंट ☒ पील संख्या 228 of1989

15 मई,1989.

पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, खंड III (1985)-रेग 9.2-पांचवें सेमेस्टर में परिणाम के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन-आवेदक को 3 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना-ऐसी वृद्धि को जोड़ना-रेग 9.2 का दायरा-कहा गया।

माना गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम II (1988) के रेग 9.2 के ☒ नुसार, एक सेमेस्टर परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त वृद्धि को दूसरे सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में जोड़ने की ☒ नुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, पांचवें सेमेस्टर परीक्षा में 3 प्रतिशत ☒ ंकों की वृद्धि को छठे सेमेस्टर परीक्षा में ☒ पीलकर्ता द्वारा प्राप्त ☒ ंकों में नहीं जोड़ा जा सकता है, भले ही एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम का ☒ ंतिम परिणाम पांचवें छठे सेमेस्टर परीक्षाओं में प्राप्त कुल ☒ ंकों के आधार पर घोषित किया जा सकता है। इसके

☒ लावा, विश्वविद्यालय द्वारा दायर उत्तर के ☒ नुसार, पांचवें सेमेस्टर परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई ☒ लग मेरिट सूची नहीं रखी गई है, जिसका स्पष्ट ☒ र्थ है कि 3 प्रतिशत ☒ ंकों को जोड़ने का श्रेय देने का न तो कोई ☒ वसर था और न ही आवश्यकता थी। , जो विनियमन में दिए गए न्यूनतम से कम था।

(पैरा 6).

माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एल. बहरी द्वारा 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 9016 में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी, 1989 के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड , इस ☒ पील को स्वीकार किया जाए और ☒ पीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को संपूर्ण लागत सहित स्वीकार किया जाए।

आई. एस. बलहारा, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के वकील और श्री एस. के. हुडा, ☒ पीलकर्ता के वकील।

सलिल सागर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकील।

☒ शोक भान, वरिष्ठ ☒ धिवक्ता आर. पी. बाली, प्रतिवादी संख्या 3 के ☒ धिवक्ता और जसदीप सिंह प्रतिवादी संख्या 3 के साथ व्यक्तिगत रूप से।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

निर्णय

एम. आर. ☒ग्निहोत्री, जे.

(1) यह एक लेटर्स पेटेंट ☒ पील है जो लेटर्स पेटेंट के क्लॉज एक्स के तहत 17 फरवरी 1989 के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-☒ पीलकर्ता, जगत नारायण गुप्ता द्वारा दायर 1988 के सी.डब्ल्यू.पी.नं.9016 को खारिज कर दिया गया था। .

(2) ☒ पीलकर्ता ने एलएलबी पाठ्यक्रम के पांचवें और छठे सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणामस्वरूप उसके द्वारा प्राप्त कुल ☒ंकों में 3 ☒ंक जोड़ने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय को निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना की थी जो ☒ पीलकर्ता को पांचवें सेमेस्टर परीक्षा के एक पेपर के पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त हुआ था। पांचवें सेमेस्टर में पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त 3 ☒ंकों की इस बढ़ोतरी को ☒ पीलकर्ता ने महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इस प्रक्रिया से उसने जसदीप सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता, उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 को पीछे छोड़ दिया होता, जिससे ☒ पीलकर्ता गोल्ड मेडल पाने का दावा कर सकता था, विश्वविद्यालय की एलएलबी (☒ंतिम) परीक्षा में टॉपर रही।

(3) ☒पीलकर्ता को 1985 में एलएलबी के प्रथम वर्ष में प्रवेश मिला। पाठ्यक्रम जिसमें छह सेमेस्टर शामिल थे। प्रतिवादी संख्या 3 और 4, जसदीप सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता को भी उसी वर्ष उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। चौथे सेमेस्टर को पास करने के बाद, चारों सेमेस्टर की चार परीक्षाओं को ☒लग-☒लग पास करके, तीनों छात्रों को ☒गस्त, 1987 में पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश दिया गया। पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर, 1987 में आयोजित की गई थी। ☒पीलकर्ता और जसदीप सिंह प्रतिवादी संख्या 3 ने पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा में ☒पने द्वारा प्राप्त ☒ंकों से ☒संतुष्ट महसूस करते हुए कुछ पेपरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। हालाँकि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, ☒पीलकर्ता के मामले में 3 ☒ंकों की वृद्धि की ☒नुमति दी जानी थी और प्रतिवादी नंबर 3, जसदीप सिंह के मामले में 5 ☒ंकों की वृद्धि की ☒नुमति दी जानी थी, लेकिन ☒पीलकर्ता के मामले में ऐसा नहीं किया गया। . परिणामस्वरूप, पांचवें सेमेस्टर में ☒पीलकर्ता द्वारा प्राप्त ☒ंक 337 रह गए, यानी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित मूल पुरस्कार, जबकि जसदीप सिंह, प्रतिवादी नंबर 3 के मामले में, 5 ☒ंक जोड़ने के बाद, पुरस्कार बढ़कर 343 से 348 हो गया। . इसके बाद, छठे सेमेस्टर की परीक्षा में, ☒पीलकर्ता ने 359 ☒ंक हासिल किए और प्रतिवादी नंबर 3 जसदीप सिंह ने 349 ☒ंक हासिल किए। चूंकि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्रदान करने के लिए, पांचवें सेमेस्टर परीक्षा के साथ-साथ छठे सेमेस्टर परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त ☒ंक जोड़े जाते हैं, ☒पीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से 696 ☒ंक (पांचवें सेमेस्टर में 337 और छठे सेमेस्टर में 359) हासिल किए।). दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 3 जसदीप सिंह ने 697 ☒ंक

(पांचवें सेमेस्टर में 348 और छठे सेमेस्टर में 349) हासिल किए। जहां तक प्रतिवादी नंबर 4, रजनीश कुमार गुप्ता का सवाल है, उन्होंने भी 697 ⊠ंक हासिल किए, जो कि वर्तमान मामले में विवाद में नहीं है। परिणामस्वरूप, जसदीप सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता, उत्तरदाता संख्या 3 और 4, प्रत्येक ने 697 ⊠ंक प्राप्त किए, उन्हें विश्वविद्यालय की एलएलबी (⊠ंतिम) परीक्षा में टॉपर घोषित किया गया और वे स्वर्ण पदक के पुरस्कार के लिए भी पात्र घोषित किए गए। . इस स्थिति से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता-⊠ पीलकर्ता ने भारत के संविधान के ⊠ नुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका के माध्यम से पांचवें सेमेस्टर परीक्षा में एक पेपर के पुनर्मूल्यांकन से 3 ⊠ंक जोड़ने के लिए एक परमादेश जारी करने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया। , छठे सेमेस्टर की परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त ⊠ंकों के लिए, ताकि वह ⊠ पने पक्ष में स्वर्ण पदक के पुरस्कार का दावा कर सके।

(4) रिट याचिका के जवाब में, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष ⊠ पनाई गई स्थिति यह थी कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड III (1985) के विनियमन 9.2 के ⊠ नुसार, याचिकाकर्ता-⊠ पीलकर्ता मुक्त मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 3 ⊠ंकों की वृद्धि का हकदार नहीं था। ⊠ केले संबंधित पेपर के लिए आवंटित ⊠ धिकतम ⊠ंकों में से 5 प्रतिशत या उससे ⊠ धिक की वृद्धि या कमी के रूप में, एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल ⊠ंकों में प्रभाव डाला गया था। विनियम 9.2 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“9.2. किसी ☒ भ्यर्थी का परिणाम पुनर्मूल्यांकन पर केवल तभी बदला जाएगा जब परिणाम का चरित्र बदल दिया जाए (चरित्र का ☒ र्थ है 'फेल' से 'पास' या 'कम्पार्टमेंट', कॉम्प' से 'पास' या इसके विपरीत, डिवीजन में बदलाव, समग्रता में परिवर्तन) , या विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में स्थान) या जहां पुनर्मूल्यांकन पर संबंधित पेपर के लिए आवंटित ☒ धिकतम ☒ंकों में से 5 प्रतिशत या उससे ☒ धिक ☒ंक बढ़/घट जाते हैं।

इसलिए, विश्वविद्यालय के ☒ नुसार, चूंकि प्रतिवादी नंबर 3, जसदीप सिंह को पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 5 प्रतिशत ☒ंकों की वृद्धि मिली, पांचवें सेमेस्टर के उनके पुरस्कार में वृद्धि उचित थी लेकिन याचिकाकर्ता-☒ पीलकर्ता के मामले में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यह केवल 3 प्रतिशत था, यानी उक्त विनियमन में प्रदान किए गए न्यूनतम से कम। विश्वविद्यालय द्वारा ☒ पनाए गए रुख से सहमत होते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को उसमें कोई योग्यता नहीं पाते हुए खारिज कर दिया।

(5) इस ☒ पील में हमारे सामने, ☒ पीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि विश्वविद्यालय पांचवें सेमेस्टर परीक्षा में ☒ पीलकर्ता द्वारा प्राप्त 3 प्रतिशत ☒ंकों को जोड़ने के लिए बाध्य था क्योंकि यह जोड़ छठे सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम के साथ-साथ गोल्डमेडल के पुरस्कार को भी प्रभावित करने वाला था। . इस तर्क को इस आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि विनियम 9.2 के ☒ नुसार, यदि परिणाम का चरित्र बदला जा रहा है या विश्वविद्यालय की मेरिट

सूची में स्थिति में बदलाव होता है, तो पुनर्मूल्यांकन पर वृद्धि 5 प्रतिशत से कम होने पर भी , वह जोड़ लगाना पड़ेगा।

(6) विद्वान वकील के संबंध में, तर्क पूरी तरह से गलत है क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम II (1988) के ⊠ नुसार, बैचलर ऑफ लॉ कोर्स में छह सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा ⊠ लग से आयोजित की जाती है। इसलिए, विनियम 9.2 के ⊠ नुसार, एक सेमेस्टर परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त वृद्धि को दूसरे सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में जोड़ने की ⊠ नुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, पांचवें सेमेस्टर परीक्षा में 3 प्रतिशत ⊠ंकों की वृद्धि को ⊠ पीलकर्ता द्वारा छठे सेमेस्टर परीक्षा में प्राप्त ⊠ंकों में नहीं जोड़ा जा सका; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलएलबी डिग्री कोर्स का ⊠ंतिम परिणाम पांचवें और छठे सेमेस्टर परीक्षाओं में प्राप्त कुल ⊠ंकों के आधार पर घोषित किया जा सकता है। इसके ⊠ लावा, विश्वविद्यालय द्वारा दायर उत्तर के ⊠ नुसार, पांचवें सेमेस्टर परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई ⊠ लग मेरिट सूची नहीं रखी गई है, जिसका स्पष्ट ⊠ र्थ है कि 3 प्रतिशत ⊠ंक जोड़ने का श्रेय देने के उद्देश्य से न तो कोई ⊠ वसर था और न ही आवश्यकता थी, जो विनियमन में दिए गए न्यूनतम से कम था। इसे देखते हुए, हमें विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं मिलती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाला गया निष्कर्ष समर्थन के योग्य है।

(7) ☒ पीलकर्ता के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, यह भी देखा जा सकता है कि तर्क इस आधार पर भी आगे बढ़ाने की मांग की गई थी कि प्रतिवादी संख्या 3 के सेमेस्टर में से एक का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा समय पर घोषित नहीं किया गया था और यह छठे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ही घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह सिर्फ ☒ सावधानी से हुआ और इससे विवाद के गुण-दोष पर कोई ☒ सर नहीं पड़ा।

(8) नतीजतन, ☒ पील विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

&.सी.के.

☒ स्वीकरण : स्थानीय भाषा में ☒ नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह ☒ पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी ☒ न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का ☒ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा